संख्या–1869 / XVIII(II) / 2010–5(137) / 2008

प्रेषक,

एस0के0 मुट्टू,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 9-2-,2010

विषयः–एस्कार्ट फार्म, ग्राम कुण्डेश्वरी, तहसील काशीपुर, जिला ऊधमसिंहनगर में सीलिंग में प्राप्त अतिरिक्त भूमि में से 200 एकड़ भूमि, भारतीय प्रबन्धन संस्थान (आई0आई0एम0) की स्थापना हेतु, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड को निशुल्क हस्तांतरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, प्रकरण पर, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, एस्कार्ट फार्म, ग्राम कुण्डेश्वरी, तहसील काशीपुर, जिला ऊधमसिंहनगर में सीलिंग में प्राप्त अतिरिक्त भूमि में से 200 एकड़ भूमि भारतीय प्रबन्धन संस्थान (आई0आई0एम0) की स्थापना हेतु, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड को उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 (उत्तराखण्ड में यथा प्रभावी) की धारा 25 एवं वित्त अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–260 / वित्त अनुभाग–3 / 2002 दिनांक 15–02–02 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क हस्तान्तरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

2– जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।

3– हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4– यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नही लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

5– जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना हस्तान्तरित नही की जायेगी।

6– जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि

अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

7– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

8– प्रस्तावित भारतीय प्रबन्धन संस्थान (आई0आई0एम0) की स्थापना हेतु, भूमि हस्तातरित किये जाने पर तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करते हुए नियमानुसार शर्तो का निर्धारण कर लिया जायेगा।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति अनिवार्य रूप से शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0के0मुट्टू)
अपर मुख्य सचिव।

पृ0प0संख्या–1869 /समदिनांकित/2010

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
3– निदेशक, (प्रबन्धन) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, उच्च शिक्षा विभाग (प्रबन्धन अनुभाग), 430 सी0ण्0 विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय।
5– प्रभारी मीडिया केन्द्र सचिवालय।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनु सचिव।